कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी आगरा

पत्रांक-सीएफओ-अ0सु0-सा-263/23.24 दिनांक- 10 फरवरी 2024

सेवा में,

स्वामी/प्रधानाचार्य
गणेशराम नागर सरस्वती बालिका विद्यालय
महादेव मन्दिर के पास, बल्केश्वर, आगरा

विषय- गणेशराम नागर सरस्वती बालिका विद्यालय महादेव मन्दिर के पास, बल्केश्वर, आगरा पर निर्मित भवन की अग्निसुरक्षा विषयक उपयुक्तता प्रमाण पत्र का दिया जाना ।

कृपया आपके द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में अग्निशमन अधिकारी संजय प्लेस, आगरा द्वारा प्रश्नगत भवन में स्थापित जीवरक्षा/फायर प्रीवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन की स्थापना एवं क्रियाशीलता के सम्बन्ध में निरीक्षण कराया गया तो अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति हेतु अपनी संस्तुति सहित आख्या दि0 29 जनवरी 2024 प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार भवन में निम्नवत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में उपलब्ध पायी गयी।

1- प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन विभाग के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते हैं।
2- भवन में 03 स्टेयरकेस चौडाई 1.4 मीटर व 1.6 मीटर की उपलब्ध है।
3- भवन के तीनों तरफ 6 मीटर सैटबैक छोडा गया है उँचाई के सापेक्ष कम है, जिस पर कम्पाउण्डिग करते समय आगरा विकास प्राधिकरण अपने स्तर से निर्णय देगा ।
4- भवन परिसर में लगभग चालीस हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैक व टेरेस पर लगभग 10000 लीटर क्षमता के 01 अदद टैरेस टैक उपलब्ध है।
5- भूमिगत टैंक व टैरेस टैक पर एक-एक अदद विधुत चालित पम्प कार्यशील दशा में उपलब्ध है।
6- भवन में डाउनकमर का प्राविधान करते हुए प्रत्येक तल पर लैडिग वाल्व, होज बाक्स में होज पाइप व साधारण ब्रांन्च उपलब्ध है तथा प्रत्येक तल पर होजरील कार्यशील दशा में उपलब्ध है।
7- भवन के प्रत्येक तल पर मैनुअली काल पाइंट की व्यवस्था की गई है।
8- भवन में कुल 17 अदद एबीसी टाइप 6 किग्राम क्षमता के फायर एक्सटिग्यूशर उपलब्ध है
9- दूवे का प्राविधान किया गया है।
10- विधुत की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर उपलब्ध है।

उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील बनाये रखने व अग्निशमन प्रणाली को विधुत के वैकल्पिक स्तोत से प्रथम सर्किट से जोडने एवं निम्नलिखित शर्तो के आधार पर उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1- स्थापित अग्निशमन प्रणाली को हमेशा कार्यशील बनाये रखने के लिये शिड्यूल बनाकर मेन्टीनेन्स एवं परीक्षण किया जाये जिसकी प्रविष्टि रजिस्टर में अंकित की जाये ।
2- सभी प्रवेश/निकासी मार्गो को सदैव अवरोध रहित रखा जाये जिससे आपात स्थिति में निकासी में अवरोध उत्पन्न न हो ।
3- अग्निशमन विभाग से तीन वर्ष में एक बार भवन में स्थापित जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

10/2/24
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
आगरा

प्रतिलिपि- अग्निशमन अधिकारी आगरा को आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।